प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**
प्र0इ0रि0 सं. 172 */2023*..................... दिनांक 4/7/2023 ....

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण **अधि.1988 (यथा संशोधित 2018.)** .... धारायें..........**7**
(II) * अधिनियम.......... ....धारायें ....
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .... 601 ...... समय 7:20 PM
(ब) * अपराध घटने का वार.....**सोमवार**......दिनांक....03.07.2023 समय 12.05 **पी.एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **11.06.2023**

4. सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक–**मौखिक व लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–9.6 किलोमीटर
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री ओमप्रकाश
(ब) पिता / पति का नाम श्री रामजीलाल शर्मा
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष.....उम्र 33 साल..
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....
(ल) पता – गांव हरिरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– आरोपी श्री शोभाराम मीणा पुत्र श्री सोदान लाल, उम्र 55 साल, निवासी प्लॉट नंबर 97बी, मंगल विहार, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर, मूल निवासी अंता पाडा, तहसील लक्ष्मणगढ, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर हाल मुख्य आरक्षक 219 पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...
.....................................———— ....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
............................रिश्वती राशि ......10000 / – रूपये

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 10000 / –

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

निवेदन है कि दिनांक 11.06.2023 को श्री बलराम सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मुख्यालय से परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा के मोबाईल नम्बर 9468594542 दिये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि मैं ओमप्रकाश उर्फ बंटी पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी हरीरामपुरा तहसील बस्सी जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने हमारे रिश्तेदार से आवश्यकता होने पर रूपए उधार लिए थे। जिसके एवज में पिताजी से खाली स्टाम्प और पाई पेपर और चैक

बतौर अमानत लिए थे, रिश्तेदार द्वारा वापस रूपए मांगने पर आपस में विवाद होने से खाली स्टाम्प और पाई पेपर पर फर्जी जमीन का बेचाननामा निकलवाया और मेरी माताजी, भाई और पिताजी के खिलाफ थाना प्रतापनगर में एफआईआर सं. 481/23 अंतर्गत धारा 420, 467, 120बी भादसं में दर्ज करवा दिया जिसकी जांच थाने के हैड कानि श्री शोभाराम जी कर रहे है। जिन्होने मेरे पिताजी को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया जो अभी जेसी चल रहे है कोर्ट में रिमाण्ड पेश करने के दिन मुझे साईड में ले जाकर कहा कि इस मुकदमे में तेरे भाई व मॉ का नाम कटवाने के लिए एक लाख रूपए देने होगे और अभी फाईल का खर्चा–पानी दे। मैंने तुरंत 10,000 रूपए कोर्ट के गेट के पास उन्हे दे दिए और बाकि 10–15 दिन में व्यवस्था करके देने की बात की। इसके बाद कल दिनांक 10.06.2023 को मेरे भाई कालूराम शर्मा के मोबाईल नंबर 9928824100 पर श्री शोभाराम जी ने अपने मोबाईल नंबर 9414373183 से वाट्सअप कॉल करके बाकि के रूपए देने की मांग की और दिनांक 11.06.2023 को जयपुर में आकर मिलने के लिए दबाव बना रहा है । ये भी कह रहा है कि बाकि के रूपयो की व्यवस्था करके दो ताकि मैं तेरी मदद कर सकूं । मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिसवाले को रिश्वत नहीं देना चाहता और उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। चूंकि दिनांक 11.06.2023 को राजकीय अवकाश था तथा रिश्वती मांग सत्यापन तत्काल करवाया जाना आवश्यक होने से श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यालय के श्री इन्द्र सिंह कानि. को जरिए मोबाईल संपर्क कर उसे कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कॉर्ड लेकर परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा के नंबर उपलब्ध करवाकर परिवादी से संपर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश देते हुए बाद सत्यापन मन पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क कर सूचना से अवगत कराने के निर्देश दिए। बाद सत्यापन कार्यवाही श्री इन्द्र सिंह कानि. ने मुझे फोन कर अवगत कराया कि परिवादी ने स्वयं का हस्तलिखित एक प्रार्थना पत्र मुझे पेश किया है जो मेरे पास सुरक्षित है तथा परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य रिश्वत मांग के संबंध में वार्तालाप हो चुकी है, जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। तत्पश्चात् परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा से मन् पुलिस निरीक्षक की जरिए मोबाईल वार्ता हुई तो उसने भी श्री इन्द्र सिंह कानि. एवं अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा बताए गए तथ्यों की ताईद करते हुए रिश्वती राशि के संबंध में हुई वार्ता एवं स्वयं द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्री इन्द्रसिंह कानि. को दिए जाने के तथ्यों से अवगत कराया। श्री इन्द्र सिंह को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखने की समझाईश कर दिनांक 12.06.2023 को समय पर कार्यालय उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किए। दिनांक 12.06.2023 को मन निरीक्षक पुलिस के कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री इन्द्रसिंह, कानि0 ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 11.06.2023 की मांग सत्यापन की कार्यवाही से अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया गया। श्री इन्द्रसिंह, कानि0 द्वारा प्रस्तुत परिवादी का प्रार्थना पत्र एवं डीवीआर में दर्ज वार्ताओं को रिवाईण्ड कर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य वार्तालाप होना एवं आरोपी द्वारा एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग किये जाने की पुष्टि हुई। दिनांक 15.06.2023 को परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी को दिनांक 11.06.23 को श्री इन्द्र सिंह कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिखाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र देखकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुए उसमें उल्लेखित तथ्यों की ताईद की। परिवादी ने मजीद पुछताछ में बताया कि श्री भगवान सहाय जो कि हमारा दूर का रिश्तेदार है ने हमारी जमीन हडपने की नियत से मेरे पिताजी द्वारा उधार लिए गए पैसो की अमानत के तौर पर दिए गए खाली स्टाम्प, पाई पेपर और चैक में से बद्नीयती पूर्वक खाली स्टाम्प पर फर्जी तरीके से जमीन का बेचाननाम निकलवा लिया व उसके आधार पर थाना प्रतापनगर में एफआईआर 481/23 दर्ज करवा रखी है। परिवादी ने ये भी बताया कि एडिशनल एसपी सर के समझाईश अनुसार दिनांक 11.06.23 को श्री इन्द्र सिंह कानि. के हमारे घर पहुँचने पर श्री शोभाराम से जरिए मोबाईल वार्ता की तथा उसके बुलाने पर इन्द्र सिंह जी के साथ मैं ट्रांसपोर्ट नगर पहुँचे जहां पर इन्द्रजी ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दे दिया। इसके पश्चात् मैंने शोभाराम जी से संपर्क किया। श्री शोभाराम मुझे अपने साथ लेकर आगरा रोड की तरफ चला गया जहां बातचीत में बताया कि मैंने तेरे भाई को पहले ही पैसे बता रखे है और उसने मेरे भाई कालूराम से मोबाईल पर व्हाट्सअप कॉल द्वारा बात करवायी। इस पर मैंने उनको निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि साहब तो 2 की कह रहे थे। लेकिन मैंने 1 का (अर्थात् 1लाख रूपए) कहा है। इसके बाद बातचीत के दौरान ही शोभाराम ने मुझसे रिश्वत के पैसें मांगे, जिस पर मैंने अपनी जेब से 6,000/–रूपए निकाल कर उसको दे दिए। इसके बाद वो मुझे छोडकर चले गए। इस बातचीत को मैंने श्री इन्द्रसिंह कानि. द्वारा दिये डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी तथा बंद करके इन्द्रसिंह कानि. को दे दिया था। इसके बाद इन्द्र सिंह जी द्वारा बात कराए जाने पर मैंने उक्त सारी बात आपको मोबाईल पर वार्ता के दौरान निवेदन कर दिया था। इस मुकदमे में मेरी माताजी व भाई का नाम होने के कारण वे

गिरफ्तारी के डर से घर से बाहर है तथा मेरे भाई कालूराम शर्मा द्वारा शोभाराम जी से व्हाट्सअप कॉल से संपर्क करने पर उसने कहा कि मैं अभी थाने पर नहीं हूं बाहर हूं वापस आकर तुझे कॉल कर दूंगा, मैं उनके कहे अनुसार रिश्वत में मांगी गयी रिश्वत राशि की व्यवस्था कर रहा हूं। शोभाराम जी द्वारा जब भी मेरे भाई या मुझे रिश्वत राशि लेकर बुलायेगें तो मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं उससे की गयी मजीद पुछताछ पर बताए गए तथ्यों के उपरांत दिनांक 11.06.2023 को परिवादी व संदिग्ध हैडकानि के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्तालाप जो विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी श्री ओमप्रकाश को सुनाया तो परिवादी ने उक्त रिकॉर्ड वार्ता को सुनकर एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री शोभाराम हैडकानि. की होना बताया। आईन्दा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान् के उपस्थित आने पर ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। दिनांक 30.06.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर परिवादी श्री ओमप्रकाश के मोबाईल नंबर 9610951918 से मिस्ड कॉल आने पर जरिए दूरभाष परिवादी से संपर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि आज हमारा राजीनामा की लिखा–पढी हो गयी तथा हम कोर्ट परिसर जयपुर जाकर राजीनामा की लिखा–पढी करा रहे थे वहां पर श्री शोभाराम जी मिले थे और रिश्वत के पैसे मांग रहे थे। तो हमने उनको राजीनामा होने के बाद पैसे देने के लिए कहा। अभी भी वह पैसो के लिए मेरे भाई को व्हाट्सप कॉल कर रहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को एसीबी कार्यालय में आने के लिए कहा तो उसने कहा कि हम 01.07.02023 को कोर्ट में राजीनामा पेश करेगे। मैं सोमवार को जल्दी ही कार्यालय में आ जाउंगा। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 03.07.2023 को आरोपी शोभाराम को देने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर समय 7.30 एएम पर एसीबी कार्यालय आने तथा गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत दी गयी। दिनांक 03.07.2023 को परिवादी श्री ओमप्रकाश व दो व्यक्ति उपस्थित कार्यालय आए जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से अन्य व्यक्तियों के बारे में पुछा तो उसने बताया कि ये मेरे बडे भाई कालूराम है व दूसरा व्यक्ति मेरा मित्र प्रेम है। आरोपी श्री शोभाराम मेरे बडे भाई कालूराम को ही व्हाट्सअप कॉल्स करता है तथा कालूराम मुझे बताता है उसके बाद मैं शोभाराम से बात करता हूँ। परिवादी ने बताया कि दिनांक 30.06.2023 को राजीनामा संबधी लिखा–पढी हुई तथा दिनांक 01.07.2023 को कोर्ट में राजीनामा के कागज पेश किए गए। कोर्ट में ही आरोपी शोभाराम दिनांक 30.06.2023 को मिला था उस समय वो मेरे से पैसो की मांग कर रहा था तो मैंने कहा कि अब तो हमारा राजीनामा हो गया है तो उसने कहा कि अभी भी मैं कालू को और तेरी मां को गिरफ्तार कर सकता हूँ तथा रिश्वत के पैसे प्राप्त करने के लिए दबाव बनाने लगा तो मैंने कहा कि थोडे बहुत कम करो तो उसने अपनी सहमति जताई तथा हमने उससे कहा कि हमारा राजीनामा कोर्ट मे पेश होने दो उसके बाद हम आपका काम कर देंगे। इस पर परिवादी व कालूराम ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि शोभाराम को राजीनामे की जानकारी है और उसे सिर्फ पैसे लेने से मतलब है कितने भी दें दो इसलिए अभी हम 10,000 रूपए ही लाए है। तत्पश्चात पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार व श्री उत्तम सिंह उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री दिनेश कुमार हाल प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, झालाना, जयपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री उत्तम हाल प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, झालाना, जयपुर होना बताया। इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान् व परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार व श्री उत्तम सिंह के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को संदिग्ध श्री शोभाराम हैड कानि. पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा ने अपने पास से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को पेश किये। परिवादी द्वारा पेशशुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द मे करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात नमो नारायण कानि. नं. 453 जयपुर नगर तृतीय भ्रनिब्यूरो से कार्यालय की आलमारी में रखे फिनोफ्थैलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगवाई जाकर फिनोफ्थैलीन पाउडर एक अखवार पर निकलवाकर 10000/– रूपये के नम्बरी नोटो पर श्री नमो नारायण कानि. नं. 453 से भली–भांति से लगवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश कुमार से लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन को छोडा गया। इसके बाद श्री नमो नारायण कानि. नं. 453 से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगे हुऐ 10000/– रूपये के नोट परिवादी श्री ओमप्रकाश की पहने हुए पायजामा

(लोअर) की दाहिनी तरफ की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईश की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे अगर अभिवादन की आवश्यकता हो तों हाथ जोडकर अभिवादन करे हाथ नही मिलावे तथा आरोपी उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मोबाईल पर मिस्ड काल कर ईशारा करे तथा साथ ही दोनो गवाहो को भी हिदायत दी गई कि आप यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यो का परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। इसके बाद एक नए कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथैलीन पाऊडर लगाने वाले श्री नमो नारायण कानि. नं. 453 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना बताया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहो को फिनोफ्थैलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया व बताया गया कि आरोपी के द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर उक्त प्रकिया अपनाई जावेगी तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद नमो नारायण कानि. नं. 453 से गिलास के धोवन को कमरे से बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथो एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को तोडकर बाहर फिकवाया गया व फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनों गवाहान तथा सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन् पुलिस निरीक्षक की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू व बन्द करने की विधि समझा कर उसकी टी–शर्ट में रखवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई व श्री नमो नारायण कानि. नं. 453 को कार्यालय में ही छोडा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। इसके पश्चात समय 10.33 एएम पर परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा के मोबाईल नंबर 9468594542 पर आरोपी शोभाराम के मोबाईल नंबर 9414373183 से मिस्ड कॉल आने फोन किया गया तो आरोपी ने कहा आया नहीं, तो मैंने कहा रास्ते पर हूँ, कहां आना है पुछने पर उन्होने प्रतापनगर थाना आने के लिए कहा। उक्त वार्ता को विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड किया। इसके पश्चात समय 11.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक रजनी मय श्री मूलचन्द पुलिस निरीक्षक, श्री हवा सिंह हैड कानि 09., श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री ओमप्रकाश कानि नं. 438, श्रीमती नीलम मकानि 22, श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाह श्री उत्तम सिंह व श्री दिनेश कुमार व परिवादी का मित्र प्रेम एवं लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहनो मय चालको एवं परिवादी के साथ इन्द्र सिंह कानि. के साथ उसकी मोटरसाईकिल से पृथक–पृथक के पुलिस थाना प्रतापनगर के लिए रवाना होकर पुलिस थाना प्रतापनगर से कुछ दूरी पूर्व पहुँचे तथा वाहनों को साईड में लगाया गया। इसके पश्चात परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू करने की हिदायत की जाकर परिवादी के साथ उसके मित्र श्री प्रेम को रवाना किया व परिवादी के पीछे श्री इन्द्र सिंह कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री उत्तम सिंह, श्री ओमप्रकाश को रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक शेष जाप्ता के रवाना होकर पुलिस थाना प्रतापनगर के आस पास–गोपनीयता रखते हुए मुकिम हुए। तत्पश्चात समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा उर्फ बंटी पुलिस थाना प्रतापनगर की तरफ से मोटरसाईकिल पर बैठकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हाल में मुझे सुपुर्द किया व बताया कि मैंने मेरे मोबाईल नंबर 9468594542 से आरोपी श्री शोभाराम है.कानि के मोबाईल नंबर 9414373183 पर समय 11.28 एएम पर कॉल किया तो आरोपी श्री शोभाराम पुलिस थाना प्रतापनगर के बाहर चाय की दुकान पर आए तथा मेरे से रिश्वत के 10,000 रूपए बांए हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की जेब में रख लिए इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री ओमप्रकाश, स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार, उत्तम सिंह व

एसीबी स्टाफ को साथ लेकर पुलिस थाना प्रतापनगर के बाहर स्थित चाय की दुकान पर पहुँची, जहां पर एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में खड़ा हुआ था जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यह श्री शोभाराम हैड कानि. है जिन्होंने अभी–अभी मेरे से रिश्वत राशि 10,000/– रूपए प्राप्त कर पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की जेब में रख लिए है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व स्वतंत्र गवाहान एंव एसीबी टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शोभाराम मीणा पुत्र श्री सोदान लाल, उम्र 55 साल, निवासी प्लॉट नंबर 97बी, मंगल विहार, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर मूल निवासी अंता पाडा, तहसील लक्ष्मणगढ, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर हाल मुख्य आरक्षक 219 पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर पूर्व जयपुर होना बताया। इसके पश्चात् चाय की दुकान पर काफी भीड होने से आरोपी श्री शोभाराम मुख्य आरक्षक को पुलिस थाना प्रतापनगर के अंदर लेकर आए जहां पर स्वागत कक्ष में बैठकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. को परिवादी श्री ओमप्रकाश से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. घबरा गया तथा पसीना आने लगा इसपर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री शोभाराम से तसल्ली देकर पुछा गया तो आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि ने बताया कि मैंने ओमप्रकाश के पिता, भाई व माता के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं. 481/23 में ओमप्रकाश के भाई व माता को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में आज 10,000/– प्राप्त किए। इसके पश्चात परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा ने आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. की बतायी गयी बात को ताईद करते हुए कहा कि श्री शोभाराम सही बोल रहे है, मेरे पिताजी, भाई व माताजी के विरूद्ध पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर में प्रकरण सं. 481/23 दर्ज है जिसमें मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा कोर्ट में रिमाण्ड पेश करने के दौरान श्री शोभाराम हैडकानि ने मुझे साईड में ले जाकर मेरी माता व भाई श्री कालूराम का नाम कटवाने व भाई व माता को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में 1,00,000/-- रूपए रिश्वत की मांग की तथा उसी दिन 10,000/– मेरे से ले लिए तथा शेष राशि की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसपर मेरे द्वारा दिनांक 11.6.2023 को एसीबी में शिकायत करने पर श्री इन्द्रसिंह कानि. इसी दिनांक को मेरे पास आए तथा मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री शोभाराम ने 100000 रूपए की मांग की तथा मांग सत्यापन के दौरान ही 6000 रूपए रिश्वत राशि मेरे से प्राप्त कर ली। दिनांक 30.06.2023 को मेरे व मेरे पिताजी व अन्य के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 481/23 में दूसरी पार्टी से राजीनामा की लिखा–पढी कोर्ट परिसर जयपुर में की जा रही थी उस समय श्री शोभाराम हैड कानि. वहां आए तथा रिश्वत राशि देने के लिए कहा तथा नहीं देने पर मेरे भाई व माता को गिरफ्तार करने के लिए कहा इसके पश्चात् 01.07.2023 को हमारा राजीनामा माननीय न्यायालय में पेश करने के बावजूद आरोपी श्री शोभाराम बार–बार मेरे भाई कालूराम को व्हाट्सप कॉल कर रिश्वत राशि देने के लिए दबाव बना रहा था । इसके पश्चात आज दिनांक 03.07.2023 को सुबह 8.30 पर व्हाट्सअप कॉल कर रिश्वत राशि की मांग की गयी तो मेरे भाई ने कहा कि 20,000 रूपए देकर ओमप्रकाश को भेज दिया है, आपको दे देगा एवं समय 10.32 एएम पर आरोपी श्री शोभाराम के मोबाईल नंबर 9414373183 से मेरे पास मिस्ड कॉल आया जिस पर मैंने समय 10.33 एएम पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आया नहीं, मैंने कहा रस्ते में हूँ तथा मैंने उनसे पुछा कहां आना है तो उन्होंने कहा कि प्रतापनगर थाना ही आजा मेरी डीओ ड्यूटी है। इस पर मैं पुलिस थाना प्रतापनगर के बाहर चाय की दुकान पर पहुँचकर उनको फोन कर बुलाया, जहां पर इन्होंने आज दिनांक 03.07.2023 को रिश्वत राशि की मांग की तो मैंने उन्हे 10,000/– दे दिए जो श्री शोभाराम ने अपने बांए हाथ से प्राप्त कर पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रख लिए। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री शोभा राम के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा आरोपी श्री शोभाराम के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. के दाहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा, उपस्थितगणो ने भी अपरिवर्तित होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा से पुछा तो उसने बताया कि आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. द्वारा रिश्वत राशि बांए हाथ से प्राप्त कर सीधे ही अपनी पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रखे थे। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर

ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा आरोपी श्री शोभाराम हैडकानि के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार से आरोपी श्री शोभाराम की तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी श्री शोभाराम हेड कानि. की पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की जेब से 500–500 रूपये के नोट निकालकर पेश किए। जिनको दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/– रूपए व एक मोबाईल वीवो कंपनी का मिला, रिश्वत राशि का पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तो हुबहू रिश्वत राशि होना पाई गई। बरामद शुदा नोटों के नम्बर निम्नानुसार पाये गये:–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8TE453577
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1PB312126
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4CB471064
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6KP426646
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7NF158075
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8AM148391
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0AN335538
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2NV715654
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5KQ830754
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0AC280646
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9EF708400
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5WU986484
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3VB813915
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6WG495027
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8DQ403138
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1MG829500
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0UA996133
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SB287355
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5NA902563
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7DD255620

बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया तत्पश्चात आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. के लिए पेंट व टी–शर्ट की व्यवस्था की गयी व आरोपी की पहनी हुई खाकी रंग की पेंट व शर्ट को सम्मानजनक उतरवायी जाकर दूसरी पेंट व टी–शर्ट पहनायी गयी। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री शोभा राम की पहनी हुई खाकी रंग की पेंट की बांयी साईड की जेब को उल्टा कर मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क P-1 व P -2 अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा आरोपी श्री शोभाराम के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके बाद आरोपी की पहनी हुई खाकी रंग की पेंट को सुखाकर बांयी साईड की जेब पर स्वतंत्र गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर प्लास्टिक की थैली में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित जब्त कर कब्जा एसीबी ली गयी। आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. की तलाशी के दौरान मिला मोबाईल फोन कम्पनी वीवो–Y बरंग इंग्लिश ग्रे का स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निरीक्षण किया गया तो उक्त मोबाईल के आईएमईआई न. सिम स्लॉट 1– 862397056652677 जिसमें एयरटेल कम्पनी न 9414373183 की सिम व आईएमईआई न. सिम स्लॉट 2– 862397056652669 जिसमें बीएसएनएल कम्पनी की सिम नं. 9530423431 लगी हुई है, उक्त मोबाईल से आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा व परिवादी के भाई श्री कालूराम से व्हाट्सअप व सामान्य कॉल करना पाया गया है। आरोपी श्री शोभाराम के मोबाईल के व्हाट्सअप व सामान्य कॉल के स्क्रीनशॉट्स लेकर कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेजकर प्रिंट लिया गया उक्त प्रिंट पर परिवादी व आरोपी शोभाराम तथा स्वतंत्र गवाहान् के हस्ताक्षर करवाए गए। आरोपी श्री शोभाराम के वीवो–Y बरंग इंग्लिश ग्रे में मोबाईल नम्बर 9414373183 व 9530423431 की सिम लगी हुई है को एक कपड़े की थैली में रखकर सिलकर सील मोहर कर मार्क SM अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. को प्रकरण सं. 481/23 की पत्रावली के बारे पुछा तो उसने

बताया कि उक्त पत्रावली थाना परिसर में स्थित बैरक में रखी मेरी आलमारी में है जिसकी चाबी मेरे पास है। आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. की आलमारी की सर–सरी तौर पर तलाशी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिवाई गई तो उक्त आलमारी में प्रकरण सं. 481/23 की मूल पत्रावली के अलावा कोई भी आपित्तजनक वस्तु व राशि नहीं मिली। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो उक्त पत्रावली 481/23 अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी विरूद्ध रामजीलाल के दिनांक 22.05.2023 को दर्ज है तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री शोभाराम हैडकानि. है जिसमें अनुसंधान लंबित है। उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली की छायाप्रति उपलब्ध करवाने हेतु थानाधिकारी प्रतापनगर को जरिए तहरीर लिखा जाने पर प्रकरण सं. 481/23 की प्रमाणित प्रतिया पेज सं. 1 से लगायत 92 तक पेश की गयी जिसके प्रत्येक पेज पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान् के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. 219 को आवाज नमूना देने के लिये नोटिस दिया जाने पर आरोपी श्री शोभाराम ने अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. 219 का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराध से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान, मय परिवादी मय जब्त शुदा आर्टिकल्स R-1 R-2 L-1 L-2. P-1 P-2, P, SM एवं रिश्वती राशि 10000 रूपये मय लैपटॉप प्रिन्टर व ट्रैप बॉक्स मय सरकारी वाहन मय चालक एंव गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. 219 पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर के एसीबी कार्यालय पहुँचे। इसके पश्चात दिनांक 04.07.2023 को परिवादी ओमप्रकाश व स्तवंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार व श्री उत्तम सिंह की उपस्थिति में दिनांक 11.06.2023 की मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 03.07.2023 की लेन–देन वार्ताओं व मोबाईल पर हुई वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर पृथक पृथक सीडीयॉ तैयार कर सील मोहर की गई व मेमोरी कार्ड 32 जीबी sandisk कम्पनी को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई व जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन–देन वार्त एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री शोभाराम मीणा पुत्र श्री सोदान लाल, उम्र 55 साल, निवासी प्लॉट नंबर 97बी, मंगल विहार, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर, मूल निवासी अंता पाडा, तहसील लक्ष्मणगढ, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर हाल मुख्य आरक्षक 219 पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर पूर्व जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा के परिजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 481/23 में परिवादी के भाई कालूराम व माता का नाम हटाने व गिरफ्तार नहीं करने की एवज में आरोपी श्री शोभाराम हैड कानि. 219 द्वारा परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा से दिनांक 11.06.2023 को मांग सत्यापन के दौरान 100000/– रूपए की मांग करना व मांग सत्यापन के दौरान 6000 रूपए प्राप्त करना व दिनांक 03.07.2023 को रिश्वत राशि लेन–देन के समय 10,000 रूपये प्राप्त करना व आरोपी श्री शोभाराम से रिश्वत राशि बरामद होना व परिवादी का कार्य लंबित होना पाए जाने से आरोपी श्री शोभाराम मीणा पुत्र श्री सोदान लाल, उम्र 55 साल, निवासी प्लॉट नंबर 97बी, मंगल विहार, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर, मूल निवासी अंता पाडा, तहसील लक्ष्मणगढ, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर हाल मुख्य आरक्षक 219 पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर पूर्व जयपुर के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में पृथम दृष्टया कारित करना पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित की गई।

(रजनी)
पुलिस निरीक्षक,
जयपुर नगर–चतुर्थ
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती रजनी, पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शोभाराम मीणा पुत्र श्री सोदान लाल, मुख्य आरक्षक नम्बर 219, पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर पूर्व, आयुक्तालय, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 172/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2189-92 दिनांक 04.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), आयुक्तालय, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।